झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण

भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमाँझी), राँची

निविदा संख्या : आ0सा0 02/2022–23

प्रवेश टिकट आदि की आपूर्ति हेतु निविदा शर्त्ते (यथा प्रासंगिक)

संविदा अवधि : दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1. भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमाँझी), राँची में प्रवेश टिकट आदि की आपूर्ति हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएं सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम से आमंत्रित की जाती है। प्रवेश टिकट आदि की निविदा प्रपत्र का मूल्य का विवरण निम्नवत है :

2. निविदा प्रपत्र (निविदा शर्तो सहित) सदस्य सचिव के चकला (ओरमांझी) स्थित कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान विहित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक उद्यान स्थित सदस्य सचिव के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में निविदा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे।

3. निविदा के लिए निम्नलिखित कागजात समर्पित करना होगा।
   (i) फर्म निबंधन/लघु उद्योग यूनिट निबंधन प्रमाण पत्र (यथा आवश्यक)
   (ii) GST निबंधन प्रमाण पत्र
   (iii) GST क्लीयरेंस प्रमाण पत्र
   (iv) आय कर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र (यथा आवश्यक)
   (v) छपाई हेतु कागज के नमूने।

4. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं यथा निर्दिष्ट तिथि/समय पर मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक के कार्यालय कक्ष में खोली जाएँगी जिस दौरान निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकरण –पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई निविदादाता अथवा उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा तथा निविदा मान्य होगा।

5 निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1000/– हैं। कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य नकद रूप में जमाकर मनी रशीद प्राप्त करना होगा जिसे निविदा प्रपत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा। वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना होगा।

6. निविदादाता अपनी निविदा के साथ उद्यान का टिकटों हेतु सत्यंकार राशि (EMD) के रूप में कुल रू0 10000/– (दस हजार रूपये मात्र) का बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पक्ष में निर्गत तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो अथवा स्वयं के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

7. छपाई का दर सभी कर एवं F.O.R. के साथ निविदा प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।

8. निविदा प्रपत्र के साथ टिकट छपाई एवं कभर में उपयोग होने वाले कागज का नमूना देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।

9. सफल निविदादाता का निविदा प्रपत्र में समर्पित अग्रधन की राशि जमानत की राशि के रूप में जमा कर ली जायगी तथा सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति के बाद जमानत की राशि मुक्त कर दी जाएगी, अन्यथा यह राज्यसात कर ली जाएगी। अन्य सभी की अग्रधन राशि यथासमय वापस कर दी जाएगी।

10. टिकट की आपूर्ति निर्धारित तिथि (आपूर्ति आदेश में अंकित) के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

11. टिकट बुक में क्रमांक पूर्ण होना अनिवार्य है, यदि क्रमांक में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरी को अधिकार होगा कि वे निविदा रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित कर टिकटों की आपूर्ति प्राप्त करें।

12. निविदा प्रपत्र के साथ मुद्रा प्राप्ति रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।

13. सामग्रियों की मात्रा अनुमानित है, जिसमें आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है।

14. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए किसी अथवा सभी निविदा को अस्वीकृत कर दें, जिसपर निविदादाता का किसी प्रकार का शर्त मान्य नहीं होगा।

15. सदस्य सचिव को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।

सदस्य सचिव
झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण